भारत सरकार
वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग
राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर एवं नार्कोटिक्स अकादमी, फरीदाबाद

प्रेस विज्ञप्ति
सीमा शुल्क ब्रोकर्स परीक्षा, 2020 हेतु सूचना

22 अगस्त, 2019

1. सीमा शुल्क ब्रोकर्स लाइसेंसिंग रेग्युलेशन्स, 2018 (यथा संशोधित) के अधीन सीमा शुल्क ब्रोकर के तौर पर कार्य करने के लिए लाइसेंस जारी किए जाने हेतु ऑनलाइन लिखित परीक्षा के लिए भारतीय नागरिकों से आवेदन-पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। रेग्युलेशन की प्रति www.cbic.gov.in और www.nacen.gov.in पर उपलब्ध है।

2. आवेदक जिस क्षेत्र में अपना व्यवसाय करना चाहता है, उस क्षेत्र के प्रधान आयुक्त/ सीमा शुल्क आयुक्त/ सीमा शुल्क (निवा.) आयुक्त को फॉर्म-क (सी बी एल आर, 2018 में उपलब्ध) में आवेदन करें तथा साथ में 500/- रु. (पाँच सौ रुपए केवल) की निर्धारित फीस, नागरिकता का प्रमाण (आधार/पासपोर्ट/मतदाता कार्ड), शैक्षिक योग्यता, वित्तीय व्यवहार्यता, मोबाइल नंबर, ई-मेल आईडी और अन्य अपेक्षाओं, के स्वयं द्वारा सत्यापित दस्तावेज एवं पासपोर्ट आकार की दो फोटो पंजीकृत/ स्पीड पोस्ट द्वारा या व्यक्तिगत रूप से दिनांक 14.10.2019 से 15.11.2019 को शाम 06:00 बजे तक प्रस्तुत करें। डाक द्वारा भेजे गए आवेदन-पत्र यदि अंतिम तिथि के बाद प्राप्त होते हैं, तो उन पर विचार नहीं किया जाएगा।

3. आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने से पहले, आवेदक को आवेदन-पत्र की संपूर्णता सुनिश्चित कर लेनी चाहिए, चूंकि अधूरे आवेदन-पत्रों को रद्द कर दिया जाएगा।

4. लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम सी बी एल आर, 2018 के रेग्युलेशन 6(7) के अनुसार होगा।

5. परीक्षा मे उपस्थित होने हेतु योग्य पाए गए आवेदकों के नाम सूचना पट्ट और/या संबंधित आयुक्तालय की वैबसाइट पर 22.11.2019 तक प्रदर्शित कर दिये जाएंगे।

6. क्रमांक संख्या, एड्मिट कार्ड और परीक्षा के स्थान से संबंधित सूचना सी बी आई सी और नासिन की वैबसाइट पर उपलब्ध आइकॉन/टैब <GSTP/CBLR Exam> पर उपलब्ध होगी। उसमें एड्मिट कार्ड को डाउनलोड करने के लिए एक लिंक भी प्रदान किया जाएगा। एड्मिट कार्ड परीक्षा की तिथि से 15 दिन पहले योग्य आवेदकों को ईमेल द्वारा भी भेजे जाएंगे। लिखित परीक्षा की तिथि 06.03.2020 एवं समय प्रातः 10:30 बजे से अपराहन 01:30 बजे तक होगा।

7. अभ्यर्थियों के पास उत्तर हिन्दी या अँग्रेजी में देने का विकल्प हैं।

8. सफल उम्मीदवारों को मौखिक परीक्षा हेतु बुलाया जाएगा, जिसके लिए अलग से सूचना दी जाएगी।

9. यदि आवेदक द्वारा दी गयी घोषणाएँ और सूचना गलत पाई जाती हैं, तो आवेदन पत्र नामंज़ूर कर दिया जाएगा या लाइसेंस (यदि जारी हुआ हो) रद्द कर दिया जाएगा।

10. किसी भी प्रश्न हेतु, कृपया वैबसाइट (www.cbic.gov.in और www.nacen.gov.in) देखें/ नजदीकी सीमा शुल्क आयुक्तालय या इस ऑफिस की ईमेल आई डी cblre.helpline@gmail.com पर संपर्क करें।